

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाबदा दीवानी)

(11)

अज अदालत

इजलास

एस. प्री. एस.

मुकाम

रोडाभीम

व

विनोद कुमार पुरोहित R.A.D

उजवान

रि.राम. पि. सरवण

मि. वि. वि.

ताति - बैरवा

नेवाली - माता सुल्ता

① दिनेश प्र. जयराज जाति बैरवा नि. माता सुल्ता

② गंगाविशन प्र. गंगाश्री जाति कोली नि. से. से. से.

बनाम

③ कमला बेवा बाबूलाल

④ राजेश प्र. बाबूलाल का. का. के. माता सुल्ता कमला बेवा बाबूलाल

⑤ बाढादेवी प्र. बालविशन जाति बैरवा नि. माता सुल्ता

⑥ उप. पंजियक रोडाभीम

⑦ तहसीलदार रोडाभीम

बाबत

रि. वि. वि. डी. डी. डी. व स्वा. नि. नि. नि.

मुकदमा नं०

33/2008

सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वर्ई

स्त्री मदन मोहन शर्मा नि. नि. नि.

व हाजिरी

जय.

मिनकानिब गुर्ई स्वस्

यह मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि दावा कदीगण स्वलाफ प्रतिवादीगण

बाबत तमा-मा प्राथमिक डिक्री दिया जाता है तथा तहसीलदार रोडाभीम को

रु. 500/- फीस पर बैरवा कमिशन नि. पुस्तक जो दिश दिया जाता है कि

ख. न. 532, 533, 534, 535, 536/668, 537, 538 कुल फीस 7 कुल

रु. 5.19 टेक्स्ट (को. गुम माधोपूत तह. रोडाभीम में से कदीगण

के दिहसे अनुसार उनके मौके पर कड़ी काशत के अनुसार अच्छी मसे

अच्छी, बुरी में से बुरी के आधार पर पक्षकारान के मध्य पुंयक

भूमि का बैरवा दिया जाय। एव बैरवा स्कीम मय देस दो प्रतिपे

में तैयार का इस न्यायालय में पेश करे।

मुबलिंग

बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय

ह

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

का अदा करे।

रि. दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

23

माह

8

सन् 2011

को जारी की गई।



उपस्थंड अधिकारी
दस्तावेज
रोडाभीम, करोली (राज.)
ओहदा

पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
मौजि दावा	स्टाम्प अर्जी दावा		
मि. वि. वि.	स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			
खर्चा गवाहान			
फीस कमिशनर			
बाबत इजराय हुमनामा			
मुतफरिक			
मीजान			

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चार डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।